THE COTTON CORPORATION OF INDIA LIMITED
(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)

Branch Office:____________________

Address___________________________________

Contract No.______ Date: --------------

Broker's Name : __________

________________________ Mode of Sales: Firm / Indent

____

____

____

Sub: Sale Contract format for Exporters against 'H' form

It is confirmed that the Cotton Corporation of India Ltd., hereinafter referred to as "the Seller" has sold and the_____________________________, having its Registered Office at _______________________________ hereinafter referred to as "the Buyer" has purchased from the Seller _______ bales of indigenous cotton on the terms and conditions set out herein below:

Indent No./ Date	Quantity in bales	Variety	Branch	Crop Year	Spot Rate	
					Per Candy Rs.	Per Qntl. Rs.

TERMS & CONDITIONS:

1. DEPOSIT MONEY:

a) The Buyer shall pay a minimum amount of Rs.1000/- per bale within seven working days from the date of acceptance of his offer towards Deposit. Buyer's failure to pay advance deposit of the contracted cotton within the stipulated time shall make the Contract liable for cancellation at the option of the seller.

b) The Corporation shall pay interest on deposit received from the Buyer @ ______% p.a., from the date of realization of payment till adjustment of deposit as per clause 6 (c).

2. SELECTION OF THE CONTRACTED COTTON:

The Buyer or its representative shall select the cotton under this contract within three days from the date of offering; however, such selection shall be prior to the date of delivery of the cotton. The CCI shall offer the bales within specified period as under: -

	Sale Quantity	Offering Period
I.	1500 to 2,999 bales	Within 20 days from the date of Contract
II.	3000 bales & above	Within 20 days from the date of contract– 50% of the contracted quantity. Within 40 days from the date of contract – balance 50% of the contracted quantity.

In case bales are not offered within specified period then additional free period will be given proportionately on un-offered quantity. The quantity offered shall be 120% of the contracted quantity to enable Buyer to complete selection. A minimum 90% of the contracted quantity has to be selected and approved. However, the Buyer shall be entitled for free delivery period based on actual quantity approved. The Buyer or its authorized representative should fully satisfy itself before completing selection. Selection once made as per the indicated quality parameters shall be final and no dispute, whatsoever, regarding quality shall be entertained in respect of the cotton selected.

3. MINIMUM QUANTITY FOR SALE :

The Buyer shall give offer for purchase of a minimum quantity of 1500 bales for sale against 'H' form for Export of cotton.

4. WEIGHMENT, DELIVERY AND PAYMENT TERMS:

Buyer shall be entitled to a free delivery period to take delivery of the contracted cotton against full payment of cotton value and taxes within _______ days from the date of contract.

a) 100% weighment of bales shall be carried out at spot at the time of delivery in the presence of the Buyer's representative/controller and such weighment shall be final and binding. In case of advance payment by the Buyer, the payment shall be worked out for weight calculated at the rate of 48 candies in case of Guntur branch and 47 candies in case of all other branches per 100 bales. All sales shall be on spot basis & expenses after weighment, shall be on the Buyer's account.

b) The Buyer shall effect payment and take delivery of bales within the maximum period of 90 days from date of contract. In case of failure on the part of the Buyer to do so, the contract shall stand cancelled and the entire deposit of 10% shall be forfeited.

c) All payments shall be made in crossed A/c Payee Demand Drafts, Pay Orders, Banker's Cheques in favour of the Corporation or by means of Electronic Fund Transfer in Bank Account of the Corporation only. In case of payment by cheques, or through Electronic Fund Transfer delivery shall be allowed to take place only on confirmation of realization of payment in the Seller's account.

d) In case, the Buyer fails to perform the contract, the future dealings with the Buyer shall be restricted at the discretion of the seller.

5. LIFTING OF COTTON:

a) Without prejudice to the provision stated in clause 4(b) above, the Buyer shall make full payment of the contracted quantity of bales within 90 days from the date of the contract & lift the bales. In case, the bales are not lifted within 20 days, even after making full payment, the late lifting charges @ 0.50% p.m. will be charged from the 21st day of the receipt of the payment from the Buyer.

b) In case, after making full payment of the contracted quantity as per clause 5 (a) above, the Buyer wants the Corporation to carry cotton on his behalf, he shall make a written request in this regard. In such eventuality, the Corporation shall carry the cotton on behalf of the Buyer for a period not exceeding 180 days from the date of contract.

c) Out of Rs. 1000/- per bale towards deposit paid by the Buyer as per clause 1 (a) above, Rs.400/- per bale shall be adjusted proportionately at the time of delivery of bales and the balance amount of Rs.600/- per bale shall be kept as a security for the eventuality of non export by the Buyers as per the contract terms. The amount shall be refunded to the Buyer with interest on submission of proof of shipment as per Clause 14 in Terms & Conditions.

d) The Buyer shall complete shipment of the contracted bales within a maximum period of 180 days from the date of the contract. If the Buyer fails to export the contracted quantity under 'H' form within 180 days, the Corporation would levy 1% penalty on the contract price besides charging VAT/CST as well as interest payable on VAT/CST, if applicable. The remaining balance, if any, shall be refunded to the Buyer.

e) In case, the Buyer does not export the bales and sells the same in domestic market, the Corporation would in addition to levy of 1% penalty on the contract price, would also recover VAT/CST as applicable.

6. CARRYING CHARGES:

The rate of carrying charges shall be as mentioned hereunder:

@ _____% per month per 30 days after the expiry of free delivery period for first 60 days and thereafter ______% per month per 30 days till delivery of cotton. The amount of carrying charges shall be calculated on monthly rest basis. Till payment of the value of the cotton to be delivered is fully realized, carrying charges as per the aforesaid rates shall be chargeable.

If the due date for payment falls on holiday (declared by the Corporation)/Sunday, the next working day shall be considered as due date for the purpose of calculating the carrying charges.

7. LATE LIFTING CHARGES:

If after making payment of the value of cotton sold under this contract, the Buyer does not take physical delivery of cotton within twenty days from the date of making payment, the Buyer shall be liable to pay late lifting charges @ 0.50% per month per 30 days from 21^{st} day of payment of such unlifted stock till the delivery of cotton is taken.

8. CASH DISCOUNT FOR MAKING EARLY PAYMENT:

The Buyer shall be entitled for cash discount at the rate of ____% p.a. on pro-rata basis for unavailed free period i.e. for the number of days for which payment is realised earlier than required as per terms of the contract.

In case of deliveries under L/C and B/G the cash discount @ ___% p.a. on pro-rata basis for unavailed free period from the date of realisation of payment will be allowed by the Corporation provided

a. The Corporation reserves its right to accept or reject delivery under L/C facility.
b. The discounting of L/C is done at the request of the Buyers and "without recourse to the drawer".
c. All the expenditure in connection with discounting of L/C is borne by the Buyers.

9. INTEREST:

The rate of interest on deliveries under L/C or Bank Guarantee will be PLR plus 1% per annum, on monthly rest basis. The PLR means the prevailing PLR of Bank of Baroda. The Buyer shall open the L/C with any scheduled bank (excluding Cooperative Banks).

10. PENAL RATE OF INTEREST:

In case the payment under L/C or Bank Guarantee is not received on due date from the bank, the penal interest will be charged @ PLR plus 3% per annum on monthly rest basis. The PLR mean the prevailing PLR of Bank of Baroda.

11. PROCESSING FEES IN CASE OF DELIVERY AGAINST L/C AND ITS DISCOUNTING.

The Seller shall charge processing fees on each L/C discounted @ 0.10% of its value or Rs.200/-, whichever is higher.

12. DOCUMENTS REQUIRED AS PROOF OF SHIPMENT IN EXPORTS:

a) The Buyer shall submit a Certificate (in prescribed proforma) duly signed alongwith offer. The Buyer shall also submit a Certified copy of export sale contract entered by him with the foreign Buyer for export prior to the date of offer given to the Corporation.
b) Form 'H' for the value of FP bales, which are exported outside India as per terms of contract, filled in all respect and duly signed & stamped shall be given by the Buyer.

c) EP copy of the shipping bill issued by customs department.

d) Copy of Bill of Lading/Railway receipts/Lorry receipt alongwith lot details. Part shipment of the contracted quantity would be allowed.

e) The Buyer shall submit the export details/documents required as above preferably within 30 days from the date of shipment for early settlement of accounts.

f) The Buyer shall give an undertaking to the Corporation that in case of re-import of such exported goods, the Buyer would communicate within a period of one month from the date of re-import to India and shall be liable to pay the applicable CST/VAT along with the interest.

13. ARBITRATION:

In case of any dispute or difference arising out of or in relation to the contract, except any dispute regarding the quality of cotton which is specifically excluded under clause 2 of the Contract, will be referred to an Arbitrator (other than an employee of the Seller) to be appointed by the Director (Marketing) or the Director (Finance) of the Seller and the decision of the arbitrator shall be final and binding upon the parties hereto. The Arbitration will be governed by the provisions of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 or any statutory amendments or re-enactment thereof.

14. FORCE MAJEURE:

a) Should any circumstances beyond the control of the Seller such as natural calamity, strike, riot, elements, war, quarantine, fire or any act of circumstances of force majeure, the contract shall be cancelled to the extent of damage/destruction/shortfall arising due to the above causes. The Seller shall intimate quantum of such shortfall to the Buyer within 30 days. The Buyer hereby categorically agrees to such cancellation of shortfall quantity and shall neither have recourse to any action, legal or otherwise, nor demand any compensation in respect thereof.

b) However, in respect of contracts, where advance payments in the account of seller has been received in respect of bales approved, the claim as settled by the Insurance Company on account of fire damages shall be passed on to the Buyers and in all such cases, the contracted quantity will be reduced to the extent of fire damage.

The duplicate copy of this contract duly signed by the Buyer be returned within 7 days from the receipt of the contract in token of confirmation of all the terms and conditions of this contract. If signed copy is not received within stipulated time, the contract shall be treated as accepted and confirmed by the Buyer.

FOR THE COTTON CORPORATION OF INDIA LTD.

WE CONFIRM

(AUTHORISED SIGNATORY)

For & on behalf of the Buyer

(Name of the Authorised person with Seal)

CERTIFICATE

Purchase offer against 'H' form certificate U/s 5(3) of the CST Act, 1956.

From: (Buyer's Name with Address)

To: The Cotton Corporation of India Ltd., Navi Mumbai, Maharashtra State.

P.O. No.: __________ **Date:** ____________

Particulars

1.	Our Foreign Export Order/ Contract Number & Date	
2.	Quantity	
3.	Quality/Specification	
4.	Nature of Goods	Cotton Bales
5.	Delivery Period	
6.	Rate	
7.	H form Certificate U/s 5(3) of CST Act	Certificate in 'H' form would be submitted after shipment to foreign destination from Indian Port ------- to____ (Foreign port)
8.	a) Our Local State VAT No.	
	b) CST No.	
	c) Local State TIN No.	
9.	Billing Instructions	
10.	Payment Terms	
11.	Other Instructions	

Note: The above certificate should be accompanied with certified copy of 'Export Contract' entered into with Overseas Buyer.

For Local Buyer
(Signature & Seal)

भारतीय कपास निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
शाखा कार्यालय:_____________
पता ______________________________

संविदा सं. __________ दिनांक: _________

ब्रोकर का नाम________________
बिक्री का प्रकार: फर्म/मांगपत्र

____
____
____

विषय :- निर्यातदार (एच फार्म के सामने) के लिए बिक्री संविदा का प्रोफार्मा

यह पुष्टि की जाती है कि भारतीय कपास निगम लि. ने, जिसे आगे "विक्रेता" कहा जायेगा, जिसने गाँठें बेची हैं तथा ------------------------------ मिल लि. ने, जिसका पंजीकृत कार्यालय ------------------------------ में है और जिसे आगे "क्रेता" कहा जायेगा, विक्रेता से देशी कपास की --------गॉठें निम्नलिखित नियमों एवं शर्तों पर खरीदी हैं :

मांगपत्र सं./दिनांक	मात्रा गॉठों में	किस्म	शाखा	उपज वर्ष	**स्पॉट दर**	
					प्रति कैंडी रू.	प्रति क्विंटल रू.

नियम एवं शर्तें :

1. जमा राशि :

क) क्रेता उनका प्रस्ताव स्वीकार करने की तारीख से 7 कार्य दिवसों के भीतर प्रति गाँठ 1000/- रू. राशि जमा करेगा । क्रेता द्वारा संविदागत रूई के मूल्य की अग्रिम राशि निर्धारित समय में जमा न करने पर विक्रेता को संविदा रद्द करने का अधिकार होगा ।

ख) निगम क्रेता से प्राप्त जमा राशि पर खण्ड 6(ग) के अनुसार जमा राशि के भुगतान की प्राप्ति से समायोजन तक ------% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करेगा।

2. संविदागत रूई का चयन :

क्रेता या उसका प्रतिनिधि इस संविदा के अंतर्गत प्रस्ताव की तारीख से 3 दिन के अंदर रूई का चयन करेगा, तथापि यह चयन रूई की सुपुर्दगी की तारीख से पूर्व होगा । सीसीआई निम्नलिखित विनिर्दिष्ट अवधि के अंदर गाँठों का प्रस्ताव देगा :-

	बेची गई मात्रा	प्रस्तावित अवधि
I.	1500 गाँठों से 2999 गाँठों तक	संविदा की तारीख से 20 दिन के अंदर
II.	3000 गाँठें या उससे अधिक	संविदा की तारीख से 20 दिनों के अंदर-संविदागत मात्रा का 50% तथा संविदा की तारीख से 40 दिन के अंदर संविदागत मात्रा का शेष 50%

यदि विनिर्दिष्ट अवधि में गाँठें प्रस्तावित नहीं की जाती है, तो अप्रस्तावित मात्रा पर यथानुपात अतिरिक्त निःशुल्क अवधि दी जाएगी । प्रस्तावित मात्रा संविदागत मात्रा का 120% होगी, ताकि खरीददार चयन पूरा कर सके । संविदागत मात्रा के न्यूनतम 90% का चयन तथा अनुमोदन होना चाहिए । तथापि, क्रेता वास्तविक अनुमोदित मात्रा के आधार पर निःशुल्क सुपुर्दगी अवधि के लिए हकदार होगा । क्रेता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को चयन पूरा करने से पूर्व अपने आप को पूर्णतः संतुष्ट करना चाहिए, दिग्दर्शित गुणवत्ता मानदंडों के अनुसार एक बार किया गया चयन अंतिम होगा तथा चयनित रूई की गुणवत्ता के संबंध में किसी प्रकार के विवाद पर विचार नहीं किया जाएगा ।

3. <u>बिक्री के लिए न्यूनतम मात्रा :</u>

क्रेता, कपास की निर्यात के लिए 'एच' फॉर्म के सामने न्यूनतम 1500 गाँठों की मात्रा की खरीद के लिए प्रस्ताव देगा ।

4. <u>तुलाई, सुपुर्दगी और भुगतान की शर्तें :</u>

क्रेता, संविदा की तारीख से --- दिनों में रूई मूल्य तथा कर के संपूर्ण भुगतान के सामने संविदागत रूई की सुपुर्दगी लेने के लिए निःशुल्क सुपुर्दगी अवधि के हकदार होंगे :-

क) क्रेता के प्रतिनिधि /नियंत्रक की उपस्थिति में सुपुर्दगी के स्पॉट पर गाँठों की 100% तुलाई की जायेगी और इस प्रकार की तुलाई अंतिम एवं बाध्यकारी होगी । क्रेता द्वारा अग्रिम भुगतान की स्थिति में, गुन्तूर शाखा के लिए 48 कैंडीज तथा अन्य शाखाओं के लिए 47 कैंडीज प्रति 100 गाठों के दर पर गिने गए वजन के आधार पर भुगतान किया जायेगा । सभी प्रकार की बिक्री स्पॉट आधार पर होगी तथा वजन के बाद के खर्च क्रेता के खाते पर होंगे।

ख) क्रेता संविदा की तारीख से अधिकतम 90 दिनों की अवधि में भुगतान करेगा तथा गॉठों की सुपुर्दगी लेगा । यदि ऐसा करने में खरीददार असफल रहता है तो संविदा रद्द हो जाएगी तथा 10% की संपूर्ण जमा राशि जब्त की जाएगी ।

ग) क्रेता द्वारा सभी प्रकार का भुगतान निगम के पक्ष में आहरित केवल क्रास्ड ॲकाऊंट पेयी डिमांड ड्राफ्ट, पे-आर्डर, बैंकर्स चैक द्वारा या इलेक्ट्रानिक फंड ट्रांसफर द्वारा ही निगम के बैंक अकाऊंट में किये जायेंगे । चैक द्वारा या इलेक्ट्रानिक फंड ट्रांसफर के जरिये भुगतान के मामले में विक्रेता के खाते में भुगतान की राशि जमा होने की पुष्टि के पश्चात ही सुपुर्दगी करने की अनुमति दी जायेगी

घ) यदि क्रेता संविदा निष्पादित करने में असफल रहता है, तो क्रेता के साथ भावी सौदों को विक्रेता के स्वविवेक पर प्रतिबंधित किया जा सकता है ।

5. रूई का उठाव :

क) उपर्युक्त खण्ड 4(ख) में किए गए प्रावधान पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, क्रेता संविदा की तारीख से 90 दिनों के अंदर संविदागत गाँठों की मात्रा का संपूर्ण भुगतान करेगा तथा गाँठों को उठाएगा । यदि संपूर्ण भुगतान करने के बाद भी गाँठों को 20 दिन के अंदर नहीं उठाया जाता है, तो क्रेता से भुगतान प्राप्ति के 21वें दिन से 0.50% प्रति माह की दर से गाँठें देरी से उठाने का प्रभार लगाया जाएगा ।

ख) उपर्युक्त खण्ड 5(क) के अनुसार, संविदा की गई मात्रा का संपूर्ण भुगतान करने के पश्चात, यदि क्रेता चाहता है कि निगम उनकी ओर से रूई रखे, तो उसे इस संबंध में लिखित अनुरोध करना चाहिए । ऐसी स्थिति में, निगम क्रेता की ओर से संविदागत तारीख से 180 दिन से अधिक अवधि तक रूई नहीं रखेगा ।

ग) उपर्युक्त खण्ड 1(क) के अनुसार, क्रेता द्वारा भुगतान की गई 1000/- रू. की जमा राशि में से 400/- रू. की जमा राशि का समायोजन अनुपातिक रूप से गाँठों की सुपुर्दगी के समय किया जाएगा तथा संविदा की शर्तों के अनुसार क्रेता द्वारा निर्यात न करने की स्थिति में जमानत के रूप में 600/- रू. की राशि रखी जाएगी । नियम एवं शर्तों के खण्ड-14 के अनुसार पोतवहन के प्रमाण को प्रस्तुत करने पर क्रेता को ब्याज के साथ राशि वापस की जाएगी ।

घ) क्रेता संविदागत गाँठों का पोतवहन संविदा की तारीख से अधिकतम 180 दिनों की अवधि में पूरा करेगा । यदि खरीददार 180 दिनों के अंदर "एच" फॉर्म के अंतर्गत संविदागत मात्रा निर्यात करने में असफल रहता है, तो निगम संविदा मूल्य पर 1% शुल्क का दंड लगाएगा । इसके अलावा वैट/सीएसटी के साथ वैट/सीएसटी पर यदि ब्याज लागू हो, तो लगाया जाएगा । यदि कोई शेष जमा हो, तो खरीददार को वापस किया जाएगा ।

ङ) यदि क्रेता, गाँठों का निर्यात नहीं करता है तथा देशी बजार में बेचता है, तो निगम संविदा मूल्य पर 1% शुल्क का दण्ड के अलावा लागू वैट/सीएसटी भी वसूल करेगा ।

6. रखरखाव प्रभार :

रखरखाव प्रभार की दर नीचे दिए अनुसार होगी :-

निःशुल्क सुपुर्दगी अवधि की समाप्ति के पश्चात् पहले 60 दिनों के लिए 30 दिनों के प्रत्येक माह के लिए -----% तथा उसके पश्चात् 30 दिनों के प्रत्येक माह के लिए सुपुर्दगी तक ---% की दर से होगा । रखरखाव प्रभार की राशि की गणना मासिक आधार पर की जाएगी । जब तक सुपुर्द की जाने वाली गाँठों का पूरा भुगतान प्राप्त नहीं होता है, तब तक ऊपर कथित दर के अनुसार रखरखाव प्रभार लिया जाएगा ।

यदि भुगतान की देय तारीख छुट्टी के दिन (निगम द्वारा घोषित)/ रविवार होती है, तो रखरखाव प्रभार की गणना के लिए अगला कार्य दिवस देय तिथि माना जाएगा ।

7. देर से उठाने पर प्रभार :

यदि इस संविदा के अंतर्गत बेची गयी कपास के मूल्य का भुगतान के पश्चात् क्रेता भुगतान करने की तारीख से 20 दिन के अंदर रूई की सुपुर्दगी नहीं लेता है, तो क्रेता को 21वें दिन से 30 दिनों के प्रत्येक माह के लिए 0.50% की दर पर इस प्रकार के न उठाये गये स्टॉक के लिए सुपुर्दगी लेने तक, देर से उठाने का प्रभार देना होगा ।

8. समय पूर्व भुगतान करने के लिए नकद छूट :

क्रेता ---% प्रति वर्ष की दर से उपयोग न की गयी निःशुल्क अवधि के लिए अनुपातिक आधार पर नकद छूट प्राप्त करने का पात्र होगा यानि संविदा की शर्तों के अनुसार अपेक्षा के पूर्व प्राप्त भुगतान के दिनों की संख्या के लिए ।

यदि निगम द्वारा किए गए प्रावधान के अनुसार एल/सी तथा बी/जी के अंतर्गत निःशुल्क अवधि का उपयोग नहीं किया जाता है, तो भुगतान की तारीख से उपयोग में न लायी गयी अवधि के लिए ----% की दर से अनुपातिक आधार पर छूट की अनुमति निगम द्वारा निम्नलिखित के अधीन दी जायेगी :-

क) निगम साख-पत्र सुविधा के अंतर्गत सुपुर्दगी करने का या अस्वीकार करने का अपना अधिकार आरक्षित रखता है ।

ख) क्रेता के अनुरोध पर तथा "आहरण कर्ता को रिकोर्स के बिना" साख-पत्र की डिस्काऊंटिंग ।

ग) साख-पत्र की डिस्काऊंटिंग से संबंधित सभी प्रकार के खर्च को क्रेता द्वारा वहन किया जाएगा ।

9. ब्याज :

साख-पत्र तथा बैंक गॉरंटी के सामने ब्याज दर पीएलआर +1% प्रति वर्ष, मासिक रेस्ट आधार पर होगी । पीएलआर यानि बैंक ऑफ बड़ौदा का प्रचलित पीएलआर । खरीददार किसी भी अनुसूचित बैंक के साथ साख-पत्र खोल सकता है । (सहकारी बैंकों को छोड़कर)

10. ब्याज का दांडिक दर :

साख-पत्र तथा बैंक गॉरंटी के अंतर्गत देय तारीख को बैंक से भुगतान प्राप्त न होने के मामले में, मासिक आधार पर पीएलआर +3% प्रति वर्ष की दर से दांडिक ब्याज लगाया जाएगा । पीएलआर यानि बैंक ऑफ बड़ौदा का प्रचलित पीएलआर ।

11. साख-पत्र तथा उसके डिस्काऊंटिंग के सामने सुपुर्दगी के मामले में संसाधन शुल्क :

विक्रेता प्रत्येक डिस्काऊंटिंग साख-पत्र पर 0.10% की दर से या 200/- रू., जो भी अधिक हो, का संसाधन शुल्क प्रभार लगाएगा ।

12. निर्यात में पोतवहन के सबूत के रूप में आवश्यक दस्तावेज :

क) क्रेता प्रस्ताव के साथ हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र (निर्धारित प्रोफार्मा में) प्रस्तुत करेगा । क्रेता निगम को दिए गए प्रस्ताव की तारीख से पूर्व उनके द्वारा निर्यात के लिए विदेशी क्रेता के साथ की गई निर्यात बिक्री संविदा की प्रमाणित प्रतिलिपि भी प्रस्तुत करेगा ।

(ख) क्रेता द्वारा संविदा की शर्तो के अनुसार देश के बाहर निर्यात की गई पूर्ण-बंधित गाँठों के मूल्य के लिए फॉर्म-"एच" पूरी तरह भरकर तथा मोहर लगाकर देना होगा ।

(ग) सीमा शुल्क विभाग द्वारा जारी पोतवहन बिल की ईपी प्रतिलिपि ।

(घ) लॉट ब्यौरों के साथ लदान बिल/रेलवे पावती/ लॉरी पावती की प्रतिलिपि । संविदागत मात्रा के आंशिक पोतवहन की अनुमति दी जायेगी ।

(ङ) लेखों के शीघ्र निपटान के लिए क्रेता पोतवहन की तारीख से 30 दिन के अंदर उक्त आवश्यक दस्तावेज/निर्यात के ब्यौरे प्रस्तुत करेगा ।

(च) क्रेता निगम को आश वासन देगा कि निर्यात किए गए माल को पुन: आयात करने के लिए मामले में, क्रेता भारत में पुन: आयात करने की तारीख से एक माह की अवधि के अंदर लागू सीएसटी/ वैट का ब्याज के साथ भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा ।

13. मध्यस्थता :

कपास की गुणवत्ता के बारे में किसी विवाद को, जिसे संविदा के खण्ड-2 के अधीन विनिर्दिष्ट रूप से छोड़ा गया है, छोड़कर इस संविदा से संबंधित या उत्पन्न किसी विवाद या अंतर के मामले में, उसे विक्रेता के निदेशक (विपणन) या निदेशक (वित्त) द्वारा नियुक्त किसी मध्यस्थ (विक्रेता के किसी कर्मचारी के अलावा) को भेजा जायेगा तथा मध्यस्थ का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी माना जायेगा । मध्यस्थता को मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों द्वारा या किसी सांविधिक संशोधनों या पुनर्धिनियम द्वारा नियंत्रित किया जायेगा ।

14. अपरिहार्य घटना :

क) विक्रेता के नियंत्रण के बाहर की परिस्थितियों में जैसे प्राकृतिक आपदा, हड़ताल, दंगे, युद्ध या अपरिहार्य घटना की परिस्थितियों के कारणों से हुए नुकसान /विनाश /कमियों की सीमा तक संविदा रद्द हो जायेगी । विक्रेता इस प्रकार की कमी की मात्रा के बारे में क्रेता को 30 दिन के अंदर सूचित करेगा । क्रेता एतदद्वारा रद्द की गई कम मात्रा के लिए सहमत होगा और इसके लिए विधिक कार्रवाई नहीं करेगा, न ही उसके संबंध में किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति की मांग करेगा ।

ख) तथापि, संविदाओं के संबंध में, जहाँ तक अनुमोदित गाँठों के संबंध में विक्रेता के खाते में अग्रिम रूप में भुगतान प्राप्त हुआ है, बीमा कंपनी द्वारा अग्नि से क्षतिग्रस्त गाँठों के लिए पास किए गए दावे के निपटान को क्रेता को हस्तांतरित किया जाएगा तथा ऐसे सभी मामलों में, संविदागत मात्रा को अग्नि में क्षतिग्रस्त मात्रा की सीमा तक कम किया जाएगा।

क्रेता द्वारा इस संविदा की दूसरी प्रति विधिवत हस्ताक्षर करते हुए 7 दिन के अंदर उपरोक्त वर्णित सभी निबंधनों तथा शर्तों की स्वीकृति के रूप में वापस करनी चाहिए । यदि हस्ताक्षरित प्रति निर्धारित समय में प्राप्त नहीं होती है, तो संविदा को क्रेता द्वारा स्वीकृत तथा संपुष्ट माना जायेगा ।

कृते भारतीय कपास निगम लिमिटेड,

हम पुष्टि करते हैं

(प्राधिकृत हस्ताक्षरी)

के लिए/की ओर से हस्ताक्षरित

(प्राधिकृत हस्ताक्षरी मोहर के साथ नाम)

प्रमाण-पत्र

सीएसटी अधिनियम 1956 के धारा 5(3) के अंतर्गत "एच" फॉर्म के सामने खरीद प्रस्ताव प्रमाण-पत्र

से : (क्रेता का नाम तथा पता)

प्रति : कॉटन कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि., नवी मुंबई, महाराष्ट्र राज्य.

पी.ओ.संख्या: ---------------------- दिनांक -------------

ब्यौरे

1.	हमारा विदेश निर्यात आदेश / संविदा संख्या तथा दिनांक	
2.	मात्रा	
3.	मात्रा / स्पष्टीकरण	
4.	माल का प्रकार	
5.	सुपुर्दगी अवधि	कपास गाँठें
6.	दर	
7.	सीएसटी अधिनियम की धारा 5(3)	भारतीय बंदरगाह ---------------- से ---------------- (विदेशी बंदरगाह)तक विदेशी स्थान पर पोतवहन के पश्चात् "एच" फॉर्म में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
8.	क) हमारा स्थानीय राज्य वैट संख्या:	
	ख) सीएसटी संख्या	
	ग) स्थानीय राज्य टीआयएन संख्या:	
9.	बिलिंग अनुदेश	
10.	भुगतान शर्ते	
11.	अन्य अनुदेश	

नोट: उपर्युक्त प्रमाण-पत्र विदेशी क्रेता के साथ की गयी निर्यात संविदा की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ होना चाहिए ।

(स्थानीय क्रेता के लिए)
(हस्ताक्षर तथा मोहर)